न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस.नं. – 2025/86

उनवान

श्रीमती नीलम पुंज पत्नि श्री लाल पुंज जाति ब्राहांण निवासी मकान नम्बर इ–8 सेक्टर 4 केशवपुरा कोटा (राज0)

(अपीलान्ट)

बनाम

1. अर्जुन सिह श्री उम्मेंद सिंह जाति राजपूत निवासी मरझाना,तहसील पीपल्दा, हाल म.न. 12/309 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा।
2. किशन सिह पुत्र श्री लक्ष्मण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी तहसील पीपल्दा।
3. राजस्थान राज्य सरकार तहसींलदार पीपल्दा,जिला कोटा।

(रेंस्पोडेन्टस्)

उपस्थित अभिभाषक :– श्री गोविन्द नामदेव,(अपीलान्ट)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज.) सत्यमेव जयते

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण सं: 506 दिनांक 27.12.2024

न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा,

निर्णय दिनांक:– 14/5/2026

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 अर्जुनसिह द्वारा उसके कब्जे एवं खाते की आराजी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के अनुसार खाता संख्या नया 3 के खसरा नम्बर 52 की रकबा 0.66 है0खसरा नम्बर 54 की रकबा 1.80 है0 कुल किता 2 की रकबा 2.46 है0 भूमि ग्राम सुमेंरपुरा पटवार हलका जटवाडा तहसील पीपल्दा को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 के मुख्तारआम मदनसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत निवासी मरझाना तहसील पीपल्दा से अपीलान्ट को विकय कर भूमि पर कब्जा संभलाया,उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र उप पंजीयक पीपल्दा के यहा विधिवत रूप से पंजीकृत है। विकय पत्र के आधार पर अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण हेतु तहसीलदार पीपल्दा के समंक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तत्कालीन पटवारी हलका द्वारा मिलीभगत करते हुऐ उक्त भूमि पर विकेता का कब्जा नही बताया नामान्तकरण को अस्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजीयात् के संबध में उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद को दिनांक 2407.2011 को रजिस्टर्ड विकय मानते हुए खारिज कर दिया। उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपील प्राधिकारी कोटा में एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा दिनांक 10.09.2018 से विवादित आराजी के संबध में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश भी दिये हुए है। उक्त तथ्यों की रेस्पाडेन्ट को पूर्ण जानकारी है तथा उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 3 पक्षकार भी है जानकारी होने के बाद भी रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में विवादित आराजी का विकय पत्र का पंजीयन करवा दिया तथा उक्त विवादित आराजी के संबध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर का स्थगन होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैरअपील नामान्तकरण तस्दीक कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा उक्त आराजी से बेंदखल करने एवं आराजी को खुर्दबुर्द करने की धमकी देने तथा उक्त आराजी अपने खाते दर्ज करवाने की जानकारी देने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.5.2025 को नकल प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की दिनांक 27.12.2024 से जानकारी दिनांक तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के बाद अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के दिनांक 27.12.2024 इंतकाल संख्या 506 निरस्त फरमाया जावें।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेंशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 506 दिनांक 27.12.2024 के विरूद्व न्यायालय में दिनांक 13.5.2025 को पेश की गई है जो विलम्ब से पेश हुई है । वकील अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा दिया जाना अवगत करवाया है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करते हुए अपील न्यायहित में अन्दर मियाद मानी जाती है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेंमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादित आराजीयात से संबधित न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर मे प्रकरण विचाराधीन है माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को है क्योकी उस प्रकरण मे वह पक्षकार है। जानकारी होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अतः जैरअपील नामान्तकरण खारिज किया जावें।

वकील अपीलान्ट की बहस सुननें के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 506 दिनांक 27.12.2024 के विरूद्व पेश की गई है। वकील अपीलान्ट की

अति० जिला कलक्टर
कोटा

वकील अपीलान्ट की बहस सुननें के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 506 दिनांक 27.12.2024 के विरूद्व पेश की गई है। वकील अपीलान्ट की बहस एवं तर्को से न्यायालय सहमत है कि विवादित आराजी के संबध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर में प्रकरण विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 506 दिनांक 27.12.2024 तस्दीक किया गया।

अतः अपील अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 506 दिनांक 27.12.2024 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर में विचाराधीन प्रकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/5/2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा